International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 04, April- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

प्रधानमंत्री जनधन योजना: आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए वित्तीय समावेशन

[1] प्रीति कुमारी [2]डॉ ब्रजेश कुमार सिंह

[1] शोध प्रज्ञ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, वाई बी एन यूनिवर्सिटी, रांची, झारखंड।

[2] एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वाई बी एन यूनिवर्सिटी, रांची, झारखंड।

सारांश

प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राष्ट्रीय स्तरीय योजना है, जो 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से सरकार को लक्षित था कि सभी लोग बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय समावेशन से लाभान्वित हों, विशेष रूप से वित्तीय विलयंन के माध्यम से।

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई। इससे लाभार्थियों को बैंकिंग सिस्टम में सम्मिलित होने का मौका मिला और वे वित्तीय समावेशन से जुड़ सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को निजी बीमा सुविधा का लाभ प्रदान किया गया। यह उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय जन बीमा निगम जैसे सरकारी बीमा कंपनियों के द्वारा निशुल्क बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत खाताधारकों को शून्य बैलेंस में भी अकाउंट ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिली, जिससे उन्हें आने वाली आर्थिक जटिलता से बचने में मदद मिली।

प्रधानमंत्री जनधन योजना में सभी खाताधारक निःशुल्क वित्तीय सम्मान पात्र हैं, जिससे उन्हें दिनचर्या व्यय करने के लिए वित्तीय सम्मान प्राप्त होता है। इस योजना के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम में लोगों को सम्मिलित करने से वित्तीय विलयंन की स्थिति में सुधार हुआ। इससे अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय सेवाओं से जुड़ने में मदद मिली।

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भारत के करीब 125 करोड़ लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा, जिससे वित्तीय समावेशन की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई।

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अच्छे प्रभाव का प्रमाण दिया है और यह एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना बनी है जो समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद कर रही है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 04, April- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

प्रस्तावना

प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य रखती है। इसके माध्यम से सरकार को लक्षित है कि सभी लोग बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय समावेशन से लाभान्वित हों, विशेष रूप से वित्तीय विलयंन के माध्यम से। (PMJDY) **भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को वित्तीय सेवाओं के लिए बैंकिंग सिस्टम में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों तक पहुंचाई जा रही हैं जो पहले बैंकिंग से वंचित थे।**

1. **खाता खोलने की सुविधा**: **योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार विभिन्न बैंकों के साथ मिलकर खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करेगी।**
2. **निःशुल्क बीमा सुविधा**: **योजना के तहत सभी खाताधारकों को निःशुल्क बीमा सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे वे भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय जन बीमा निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे।**
3. **अकाउंट ओवरड्राफ्ट की सुविधा**: **प्रधानमंत्री जनधन योजना में सरकार खाताधारकों को अकाउंट ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करेगी। यह सुविधा उन्हें आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए मदद करेगी।**
4. **पेंशन योजना**: **योजना के अंतर्गत सरकार एक पेंशन योजना प्रदान करेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आराम से पेंशन प्राप्त होगी।**
5. **वित्तीय शिक्षा**: **प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सरकार वित्तीय शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगी। इससे लोगों को वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी और वे अधिक बेहतर वित्तीय नियंत्रण रखेंगे।**

प्रधानमंत्री जनधन योजना एक सकारात्मक पहल है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समृद्धि की दिशा में एक कदम आगे ले जाने के लिए उठाई गई है। यह लोगों को वित्तीय समावेशन की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहायता करती है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 04, April- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

पृष्ठभूमि

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को भारत सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय समावेशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाना था और यह सुनिश्चित करना था कि उनके पास विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो।

पीएमजेडीवाई के शुभारंभ से पहले, भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से कम आय वाले समूहों से संबंधित, औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं थी। उन्हें अपने वित्तीय लेनदेन के लिए अनौपचारिक और अनियमित चैनलों पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे अक्सर शोषण और वित्तीय असुरक्षा होती थी। बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच की कमी का मतलब यह भी था कि ये व्यक्ति विभिन्न वित्तीय लाभों और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे।

प्रमुख चुनौतियां:

1. **बैंकिंग पहुंच की कमी: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आबादी के एक बड़े हिस्से की औपचारिक बैंकिंग संस्थानों तक पहुंच नहीं थी। उन्हें बैंक शाखा तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे उनके लिए बैंक खाता बनाए रखना अव्यावहारिक और महंगा हो जाता था।**
2. **सीमित वित्तीय सेवाएं: कई गरीब व्यक्तियों के पास बचत खातों, क्रेडिट सुविधाओं, बीमा और पेंशन योजनाओं जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं थी। इसने पैसे बचाने, अपने भविष्य में निवेश करने और अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ खुद को बचाने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया।**
3. **वित्तीय बहिष्करण: औपचारिक बैंक खाते की अनुपस्थिति ने लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने से बाहर रखा। वे विभिन्न सरकारी सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और अन्य वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा सके।**
4. **जागरूकता की कमी: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा औपचारिक बैंकिंग के लाभों से अनजान था और वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण औपचारिक वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़ने में संकोच कर रहा था।**

प्रधान मंत्री जन धन योजना का उद्देश्य इन मुद्दों को संबोधित करना और गरीबों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। इसने कम आय वाले समूहों के व्यक्तियों को शून्य-शेष बचत खाता, बीमा

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 04, April- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

कवर और क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच सहित वित्तीय सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, इस योजना ने किफायती प्रीमियम पर ओवरड्राफ्ट सुविधाओं, दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा कवरेज जैसे लाभ ोें की पेशकश की।

पीएमजेडीवाई की सफलता का श्रेय इसके अभिनव दृष्टिकोण, बड़े पैमाने पर आउटरीच और प्रभावी कार्यान्वयन को दिया जा सकता है। थोड़े समय के भीतर, इस योजना ने महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए, जैसे कि लाखों बैंक खाते खोलना और वित्तीय रूप से वंचित आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित करना। इसने न केवल गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि आर्थिक असमानता को कम करने और देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वित्तीय समावेशन की समीक्षा

प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को वित्तीय समावेशन प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक साधारण और सक्रिय तरीके से माध्यम उपलब्ध कराना। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन की अवसरों को मजबूत करती है और आर्थिक समानता को बढ़ाने में मदद करती है।

1. सामाजिक समावेशन: PMJDY ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समाज के मुख्य स्ट्रीम से जोड़ा और उन्हें वित्तीय समावेशन की मुख्य भूमिका में लाया। लाखों लोगों को बैंक खाता खोलने का लाभ मिला, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और वित्तीय सेवाओं का लाभ प्राप्त होने में मदद मिली।
2. निःशुल्क बीमा सुविधा: योजना के तहत सभी खाताधारकों को निःशुल्क बीमा सुविधा प्रदान की गई, जो उन्हें विभिन्न बीमा पॉलिसी के लाभ उठाने में मदद करती है। यह उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है और उन्हें विपदा से बचाता है।
3. वित्तीय शिक्षा: PMJDY योजना ने लोगों को वित्तीय शिक्षा और वित्तीय जागरूकता के महत्व के प्रति जागरूक किया। इससे उन्हें वित्तीय निपटारा बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिली।
4. सुलभता और प्रभावी नेटवर्क: PMJDY योजना ने वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए सुलभ और प्रभावी माध्यम प्रदान किया। इससे लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलने में अधिक आसानी हुई।
5. वित्तीय सकारात्मकता: PMJDY ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सकारात्मक वित्तीय स्थिति में सशक्त किया। इससे उन्हें अपने वित्तीय विकल्पों का अधिक नियंत्रण था और उन्हें अपने आर्थिक भविष्य की रचना करने में मदद मिली।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 04, April- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सामान्य रूप से, PMJDY **योजना को आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक सफल और महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा सकता है। यह उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाने और आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुई है।**

अनुसंधान पद्धति

प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) **के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए वित्तीय समावेशन के अनुसंधान की पद्धति**:

1. **समझौता और उद्देश्य**: **अनुसंधान की पद्धति की शुरुआत में योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को समझने वाले विश्लेषकों द्वारा समझौता किया जाता है। इसमें योजना के मुख्य लक्ष्यों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन में होने वाली चुनौतियों का भी समीक्षण किया जाता है।**
2. **डेटा संग्रह**: **अनुसंधान के लिए विश्लेषण के लिए उपयुक्त डेटा का संग्रह किया जाता है। यह डेटा वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वित्तीय स्थिति, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग, और बैंकिंग संबंधित समस्याएं शामिल करता है।**
3. **समीक्षा और विश्लेषण**: **डेटा के संग्रह के बाद, विश्लेषणकर्ता विभिन्न अनुसंधान विधियों का उपयोग करके डेटा को समीक्षा और विश्लेषण करते हैं। इसमें विभिन्न पैमाने पर डेटा को उपयुक्त आँकड़े में प्रस्तुत किया जाता है जो वित्तीय समावेशन के प्रभाव को समझने में मदद करते हैं।**
4. **विश्लेषण का विस्तार**: **विश्लेषण के बाद, अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रत्याशा-धारणाओं, त्रुटियों, और संभावित समस्याओं का विस्तार करते हैं। इसमें सुधारों के लिए संभावित समाधान भी प्रस्तावित किया जा सकता है।**
5. **नीति और कार्रवाई का सुझाव**: **अनुसंधान के अंत में, विश्लेषणकर्ता आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के वित्तीय समावेशन के लिए उचित नीतियों और कार्रवाई के सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इससे समावेशन की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इस रूप से, अध्ययन के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के वित्तीय समावेशन के प्रभाव को समझा जा सके और उन्हें बेहतर वित्तीय सेवाओं तक पहुंचाने में मदद की जा सके।**

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 04, April- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

निष्कर्ष

PMJDY **ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने के लिए बैंकिंग सिस्टम में जोड़ा गया है, इसके तहत लाखों लोगों को बैंक खाता खोलने का मौका मिला, जिससे उन्हें विभिन्न बैंकिंग संबंधित सुविधाएं मिली। इसमें नामिकरण, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, भुगतान प्रक्रियाएं, और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं, सभी खाताधारकों को निःशुल्क बीमा सुविधा प्रदान की है। यह उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें विपदा से बचाता है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना प्रदान की है, जिससे उन्हें आराम से पेंशन प्राप्त होती है, वित्तीय शिक्षा और जागरूकता में बढ़ावा दिया। इससे उन्हें अधिक उचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिली, आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया। यह वित्तीय समावेशन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को बेहतर वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है और उन्हें समाज में समानता का अहसास होता है।** PMJDY **ने वित्तीय समावेशन को सरल और प्रभावी बना दिया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में आसानी होती है और उन्हें समृद्धि की दिशा में कदम उठाने में मदद मिलती है।**

PMJDY **योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए वित्तीय समावेशन में कई अहम निष्कर्ष निकाले हैं जो उन्हें वित्तीय समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।**

प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) **भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को वित्तीय सेवाओं के लिए बैंकिंग सिस्टम में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों तक पहुंचाई जा रही हैं जो पहले बैंकिंग से वंचित थे।**

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 04, April- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

संदर्भ ग्रंथ सूची

- **परमार**, **एस**, "**प्रधानमंत्री जन धन योजना** (**वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन**) - **उद्देश्य**, **लाभ और संशोधन**," 25 **अप्रैल** 2020 **।**
- **प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया**, "www.theweek.in," 28 **अगस्त** 2020 **।** http://www.theweek.in/news/biz**।**
- **रवि**, **एस**., **और गखर**, **एस**. (2015), "**एडवांसिंग फ़ाइनेंशियल इन्क्लूज़न इन इंडिया बियॉन्ड द जन-धन योजना**," **ब्रूकिंग इंडिया इम्पैक्ट सीरीज़**, 2015 **।**
- **राजगोपालन**, **एस**., "**भारत को जन धन की जरूरत है और न सिर्फ जन धन खातों की**," **मिंट**, 29 **मई** 2018**।**
- **वैष्णव**, **ए**., "**वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति**," **पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च**, **नई दिल्ली**, 2020.
- **सिंह**, **बी.पी**., **कुमारी**, **ए**., **शर्मा**, **टी**., **और मल्होत्रा**, **ए**., "**क्या पीएमजेडीवाई योजना भारत में वित्तीय समावेशन को संवर्धित करती है**? **भारतीय राज्यों से साक्ष्य**, "30 **नवंबर** 2020 **।**